[2023] 5 एस. सी. आर. 453

/

सर्वोच्च न्यायालय बार संगठन v.

शहरी विकास और ओ. आर. एस. मंत्रालय (2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 640)

/

23 मार्च, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** संजय किशन कौल और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-कला। 32-सुप्रीम न्यायालय बार एसोसिएशन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को (i) आईटीओ के पास स्थित 1.33 एकड़ भूमि के पूरे हिस्से के वकीलों के लिए एक चैम्बर ब्लॉक में परिवर्तित करने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए आदेश दिया, जिसे सुप्रीम न्यायालय को आवंटित किया गया है; (ii) सुप्रीम न्यायालय के आसपास के पूरे क्षेत्र को 'सुप्रीम न्यायालय कॉम्प्लेक्स' के रूप में परिवर्तित किया जाए, ताकि सभी इमारतों का उपयोग चैंबर में परिवर्तित करने या चैंबर ब्लॉक के रूप में पुनर्विकास करने के लिए/सुप्रीम न्यायालय की गतिविधियों के लिए या वकीलों के लिए किसी भी अन्य सुविधाओं के लिए किया जा सके; और (iii) एक सरकारी बंगला आवंटित किया जाए जिस पर वर्तमान में विदेशी संवाददाता क्लब द्वारा कब्जा किया जा रहा है-याचिकाकर्ता को आयोजितः इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष पर जारी नहीं किए जा सकते हैं-भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष पर वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों और सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगा-निर्णय लेने की प्रक्रिया में बार के साथ परामर्श भी शामिल होगा-एस. सी. ए. ओ. आर. ए., एस. सी. बी. ए. और बी. सी. आई. प्रशासनिक पक्ष पर अपने अभ्यावेदन के साथ इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे-लिखित याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा।

/

/

/

/

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 640।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

/

2022 की रिट याचिका (सी) संख्या 817।

विकास सिंह, प्रदीप कुमार राय, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री सोनिया माथुर, बृजेंद्र चाहर, दिनेश कुमार गोस्वामी, विकास पाहवा, ए.

/

453

454

/

[2023] 5 एस सी आर।

रणजी थॉमस, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रोहित पांडे, श्रीमती युगांधरा पवार झा, रीपक कंसल, सुश्री सीमा पटनाहा, कुमार गौरव, मुकेश कुमार सिंह, विकास गुप्ता, सुश्री अंजलि चौहान, उपेंद्र मिश्रा, सुश्री नंदिनी गुप्ता, सतबीर सिंह पिल्लानिया, सुश्री संगीता सिंह, प्रवीर चौधरी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

आर. वेंकटरमानी, एजी, के. एम. नटराज, सुश्री माधवी दीवान, A.S.Gs, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, मनन कुमार मिश्रा, एस. प्रभाकरण, अपूर्बा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीमती ज्योति जोंगलूजू, कानू अग्रवाल, श्रीमती दीपबली दत्ता, विनायक शर्मा, अमरीश कुमार, सुश्री निधि खन्ना, देवव्रत, मनोज के. मिश्रा, स्नेहाशीष मुखर्जी, सुश्री रश्मि मल्होत्रा, पुनीत सिंह बिंद्रा, सचिन शर्मा, अभिनव रामकृष्ण, विशाल प्रसाद, सुश्री मीनाक्षी चौहान, सुश्री दिव्या ज्योति सिंह, आकर्शन आदित्य, सुश्री अंजू के वर्की, सुश्री राधिका गौतम, सुश्री अंजुल द्विवेदी, विश्वजीत मिश्रा, साई गिरधर द्विवेदी, रामशंकर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।व्यक्तिगत रूप से आवेदक

/

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 1 ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश देने के लिए एक आदेश पत्र की मांग की गई है कि (i) आईटीओ के पास स्थित 1.33 एकड़ भूमि के पूरे क्षेत्र के

वकीलों के लिए एक चैम्बर ब्लॉक में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट को आवंटित किया गया है।

/

((ii) उच्चतम न्यायालय के आसपास के पूरे क्षेत्र को 'सर्वोच्च न्यायालय परिसर' के रूप में परिवर्तित किया जाए ताकि भगवान दास रोड पर विदेशी संवाददाता क्लब ऑफ साउथ एशिया, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ सहित सर्वोच्च न्यायालय की सभी इमारतों का उपयोग कक्षों में परिवर्तित करने या चैंबर ब्लॉक के रूप में पुनर्विकास करने के लिए/सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधि यों के लिए या वकीलों के लिए किसी अन्य सुविधा के लिए किया जा सके; और (iii) याचिकाकर्ता को एक सरकारी बंगला आवंटित किया जाए जिस पर वर्तमान में विदेशी संवाददाता क्लब का कब्जा है।

/

/

1 “एससीबीए "

/

455

एस. सी. बी. ए. बनाम शहरी विकास और ओ. आर. एस. मंत्रालय। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और मौजूदा चैम्बर ब्लॉक आवंटन के लिए पात्र वकीलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।याचिकाकर्ता के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पूर्ववर्ती अप्पू घर परिसर में 12.19 एकड़ का एक क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था, जिसमें से एक छोटे से हिस्से का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लिए एक नए कक्ष खंड के निर्माण के लिए किया गया है।वकीलों के लिए नए चैम्बर ब्लॉक में, 234 कक्षों का निर्माण किया गया है जो अब 468 वकीलों को समायोजित करने के लिए दोहरे अधिभोग पर आवंटित किए गए हैं।

/

/

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा आई. टी. ओ. के पास एक अभिलेखीय खंड के निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय को आवंटित 1.33 एकड़ के कुल क्षेत्र में से केवल 0.50 एकड़ को वकीलों के लिए एक कक्ष खंड के लिए निर्धारित किया गया है।याचिकाकर्ता के

अनुसार, उक्त क्षेत्र में केवल चार से पांच सौ कक्षों का निर्माण किया जा सकता है।चूँकि 1.33 एकड़ भूमि 'उच्चतम न्यायालय के पास उपलब्ध खाली भूमि का अंतिम टुकड़ा' है, इसलिए याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि इसका उपयोग पूरी तरह से वकीलों के लिए चैम्बर ब्लॉक के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

/

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के अभिलेखागार को अतिरिक्त भवन परिसर में रखा जा सकता है जहां कुछ क्षेत्र खाली पड़े हैं।याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय को आवंटित भूमि में खाली स्थानों का उपयोग करने का समान अधिकार है क्योंकि इसके सदस्य न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं।

/

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने कहा किः

/

(i) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय को पूर्ववर्ती अप्पू घर परिसर में 12.19 एकड़ के आवंटन में एस. सी. बी. ए. द्वारा न्यायिक पक्ष की ओर से एक याचिका की स्थापना द्वारा तेजी लाई गई थी;

(ii) 2018-19 में अतिरिक्त भवन परिसर के निर्माण के बाद, वकीलों के लिए एक कक्ष खंड के निर्माण के लिए एक छोटे से खंड का उपयोग किया गया है जिसमें 234 कक्षों का निर्माण किया गया है जिसमें 468 वकीलों को रहने की अनुमति दी गई है।

/

(iii) उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त पंजीयक ने एस. सी. बी. ए. को सूचित किया कि 1.33 एकड़ भूमि में से 0.50 एकड़ में

/

उपयोग में परिवर्तन के अधीन वकीलों के कक्ष खंड के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था। चूंकि निर्धारित की गई भूमि पर केवल चार से पाँच सौ कक्षों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए संपूर्णता का उपयोग उन वकीलों के लिए कक्षों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए जो न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं; और

/

(iv) अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका बनाए रखने योग्य है क्योंकि भूमि उपयोग में बदलाव के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और एस. सी. बी. ए. के लिए निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मिसाल को भी ध्यान में रखा जाता है।

6. सुप्रीम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 2 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों को सुप्रीम न्यायालय के निर्धारित दायरे में एक कार्यालय बनाए रखने के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के रूप में अपने अभ्यास को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा आवश्यक है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अतिरिक्त भवन परिसर में नवनिर्मित कक्ष खंड में लगभग 70 प्रतिशत कक्ष रिकॉर्ड पर अधिवक्ताओं को आवंटित किए गए हैं (शेष 10 प्रतिशत वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और 20 प्रतिशत अन्य अधिवक्ताओं को आवंटित किए गए हैं)।रिकॉर्ड पर अधिवक्ताओं की जरूरतों पर जोर देते हुए, सुश्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसे SCAORA सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रशासनिक पक्ष पर उठाए जाने के लिए सहमत है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उस स्तर पर, यह वांछनीय होगा यदि एस. सी. ए. ओ. आर. ए. को सर्वोच्च न्यायालय की भवन समिति के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का अवसर दिया जाए।

/

/

/

7. श्री मनन कुमार मिश्रा, श्री एस. प्रभाकरण और श्री देवी प्रसाद ढल, सभी विद्वान वरिष्ठ वकील, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए।

/

8. श्री मनन कुमार मिश्रा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, ने आग्रह किया कि (i) बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जिसे कानूनी पेशे को विनियमित करने के लिए कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा गया है; (ii) हालांकि बार काउंसिल की अपनी एक इमारत है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निकट स्थित है, लेकिन यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; (iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुशासनात्मक कार्य करने होते हैं और इसके सभी अभिलेख एक गोदाम में रखे जाते हैं; (iv) इसलिए एक भवन परिसर के निर्माण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जगह आवंटित की जानी चाहिए।

/

/

एस. सी. बी. ए. बनाम शहरी विकास और ओ. आर. एस. मंत्रालय। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन की सुविधा प्रदान करेगा।श्री मनन कुमार मिश्रा, श्री एस. प्रभाकरण और श्री देवी प्रसाद धल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, हालांकि, यह कहते हुए शामिल हुए कि यह एक ऐसा न्यायालय है जिसे केवल प्रशासनिक पक्ष पर लिया जाना चाहिए और बार काउंसिल ऐसे निर्णय से संतुष्ट होगी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी उचित जरूरतों को समायोजित करने के लिए लिया जा सकता है।

/

9. केंद्र सरकार की ओर से विद्वान महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी पेश हुए।महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर उठाया जाना चाहिए और वह अपनी क्षमता में संस्थान और उसके हितधारकों की जरूरतों को सुरक्षित करने के प्रयास को सुविधाजनक बनाएगा।

/

10. एस. सी. बी. ए. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने इन कार्यवाही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि एस. सी. बी. ए. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान्यता प्राप्त संघ है।इसलिए, उनके अनुसार, बार काउंसिल, जिसकी अपनी एक इमारत है, के पास उच्चतम न्यायालय को आवंटित की गई भूमि में अपनी मांगों को रखने के लिए कोई निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।

/

11. 12 सितंबर 2022 को, इस न्यायालय ने वकीलों के लिए एक चैम्बर ब्लॉक के लिए 1.33 एकड़ भूमि के रूपांतरण की मांग करने वाली याचिका की प्रार्थना (ए) में मांगी गई राहत के संबंध में नोटिस जारी किया।12. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव द्वारा इन कार्यवाही में दायर लिखित निवेदन में 1.33 एकड़ भूमि के आवंटन की पृष्ठभूमि निर्धारित की गई है।21 अगस्त 2017 को, सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक (प्रशासन) के अनुरोध के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखागार की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि के आवंटन के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराया।27 अगस्त 2018 को, उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त पंजीयक ने एस. सी. बी. ए. को वकीलों के कक्षों के निर्माण के उद्देश्य से भूमि से 0.50 एकड़ भूमि निर्धारित करने के निर्णय के बारे में सूचित किया।1 फरवरी 2019 की एक अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय आवास और

शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 ए (2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को संशोधित किया, जिसके द्वारा योजना क्षेत्र-3 में स्थित भूमि के उपयोग को 'सरकारी कार्यालय' में बदल दिया गया था।

/

/

/

/

13. महासचिव ने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेखागार के लिए भूमि का उपयोग करने के निर्णय के साथ-साथ वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए 0.50 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार है और भूमि के विकास से संबंधित मामला न्यायाधीश समिति के समक्ष विचाराधीन है।महासचिव ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का सुझाव कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेखागार को अतिरिक्त भवन परिसर या एनेक्सी भवन के ब्लॉक 'ए' और 'बी' में फिर से स्थानांतरित किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन स्थानों में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है।यह प्रस्तुत किया गया है कि वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन निर्धारित करने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद लिया गया था, यह ध्यान में रखते हुए कि हाल ही में बार के सदस्यों के लिए अतिरिक्त भवन परिसर में एक कक्ष खंड का भी निर्माण किया गया है।

/

/

14. मौखिक सुनवाई में विचार-विमर्श के दौरान, पीठ ने संकेत दिया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले वकीलों की जरूरतों से पूरी तरह से अवगत है जो न्याय के प्रशासन में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।इसके अलावा, बातचीत के दौरान यह भी नोट किया गया कि वादी भी हितधारक हैं और मौजूदा सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन करते समय, वादियों के हितों और कल्याण को विधिवत मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

/

/

15. प्रस्तुतियों के विवरण से संकेत मिलता है कि जहां एस. सी. बी. ए. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने न्यायिक पक्ष में याचिका में उठाई गई मांग का समाधान मांगा है, वहीं दूसरी ओर एस. सी. ए. ओ. आर. ए. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संकेत दिया कि वे इस मुद्दे को प्रशासनिक पक्ष से संबोधित करना चाहेंगे ताकि इस न्यायालय द्वारा अपने प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रशासनिक रूप से एक उचित दृष्टिकोण लिया जा सके।

/

16. इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि वादियों के साथ बार के सदस्यों की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक संस्था के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका है।सुनवाई के दौरान, हमने विद्वान वरिष्ठ वकील को भरपूर संकेत दिया है कि बार के विचार मांगे जाएंगे और संघों और बार काउंसिल के सदस्यों के साथ प्रशासनिक पक्ष पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

/

17. एस. सी. ए. ओ. आर. ए. और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समान ही भारत के विद्वान महान्यायवादी ने संकेत दिया है कि ए.

/

इस मुद्दे को प्रशासनिक पक्ष में उठाया जाना चाहिए न कि न्यायिक पक्ष में।

18. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वकीलों के लिए एक चैम्बर ब्लॉक के निर्माण के लिए 1.33 एकड़ की पूरी भूमि आवंटित की जानी चाहिए।

/

19. 27 अगस्त 2018 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त पंजीयक ने एस. सी. बी. ए. के मानद सचिव को संबोधित करते हुए कहा कि 1.33 एकड़ भूमि में से 0.50 एकड़ भूमि वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाए।एस. सी. बी. ए. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने आग्रह किया कि भूमि उपयोग में बदलाव के निर्देश पर केवल न्यायिक पक्ष से निर्णय लिया जाना चाहिए।हालाँकि, यह एक सही धारणा नहीं हो सकती है।भूमि उपयोग में परिवर्तन से

संबंधित मुद्दे, जैसा कि 27 अगस्त 2018 के पत्र में संकेत दिया गया है, प्रशासनिक पक्ष पर संबोधित किए जाने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं।

/

/

20. एस. सी. बी. ए. 1.33 एकड़ भूमि की संपूर्णता पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय अभिलेखागार के आवास के लिए आवंटित किया गया है, ताकि इसे वकीलों के लिए एक कक्ष खंड में परिवर्तित किया जा सके।भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों का निर्वहन करता है।इसके कार्यों का निर्वहन वकीलों, वादियों और सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधियों में लगे कर्मचारियों सहित विभिन्न हितधारकों को प्रभावित करता है।वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करके उपलब्ध संसाधनों के आवंटन पर एक समग्र दृष्टिकोण रखना होगा।ये ऐसे मामले हैं जिन्हें न्यायिक मानकों को लागू करके हल नहीं किया जा सकता है और इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष में लिया जाना चाहिए।प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निर्णय लेने, जिसकी वर्तमान मुद्दे में आवश्यकता है, को न्यायिक पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

/

/

21. 'ए' प्रार्थना के अलावा, जिसमें 1.33 एकड़ की पूरी भूमि को वकीलों के लिए एक चैम्बर ब्लॉक में बदलने की मांग की गई है, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम न्यायालय के आसपास के पूरे क्षेत्र को सुप्रीम न्यायालय ब्लॉक के रूप में बदलने की भी मांग की है ताकि भगवान दास रोड पर सुप्रीम न्यायालय की सभी इमारतों का उपयोग वकीलों के कक्ष में बदलने के लिए किया जा सके।याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता को वर्तमान में विदेशी संवाददाता क्लब द्वारा कब्जा किए गए एक सरकारी बंगले के आवंटन की भी मांग की है।इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

/

/

22. इसलिए हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका में मांगी गई राहतों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।हालाँकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की आवश्यकताओं और सभी हितधारकों के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ते हैं।निर्णय लेने की प्रक्रिया में बार के साथ परामर्श भी शामिल होगा। एस. सी. ए. ओ. आर. ए., एस. सी. बी. ए. और बी. सी. आई. प्रशासनिक पक्ष में अपने अभ्यावेदन के साथ इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।रिट याचिकाओं का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।

/

अंकित ज्ञान

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

/

(सहायकः दयार, एल. सी. आर. ए)

/

/

/

/

/